

भोपाल दिनांक 09 /05/2017

प्रति,

- (1) आयुक्त,  
भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना  
रीवा - (म०प्र०)
- (2) समस्त मुख्य अभियन्ता,  
जल संसाधन विभाग (म०प्र०)

विषय :- मेसर्स रामके इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि०, एस-5 एण्ड एस-6, द्वितीय तल, द्वितीय तल, सिटी सेन्टर, प्रेस काम्पलेक्स रोड, भोपाल (म०प्र०) का अ-5 (पांच) श्रेणी की अमानत राशि वापस करने के संबंध में न मांग प्रमाण-पत्र भेजने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रं. 42131297/पार्ट दिनांक 07.11.2016, 21.12.2016, 18.01.2017 एवं दिनांक 23.02.2017

विषयांकित प्रकरण में सन्दर्भित पत्रों द्वारा मेसर्स रामके इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि०, एस-5 एण्ड एस-6, द्वितीय तल, द्वितीय तल, सिटी सेन्टर, प्रेस काम्पलेक्स रोड, भोपाल (म०प्र०) का श्रेणी अ-5 (पांच) के पंजीयन समय जमा की गई अमानत राशि रूपये 2.00 लाख वापस करने हेतु शासकीय राशि की वसूली की जानकारी 30 दिवस में भेजने हेतु लिखा गया है ।

अतः पुनः अनुरोध है कि फर्म/ठेकेदार से शासकीय राशि की वसूली होने पर 7 दिवस में फैंक्स से अवगत कराना सुनिश्चित करें, निर्धारित अवधि में न मांग की जानकारी प्राप्त न होने पर यह माना जावेगा कि फर्म /ठेकेदार से शासकीय राशि की वसूली नहीं की जाना है, और फर्म की अमानत राशि वापस कर दी जावेगी, तत्पश्चात् फर्म पर शासकीय राशि की वसूली निकलने पर इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

(शिवाजी मिश्र) 4/5/17  
अधीक्षण यंत्री (बजट)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,  
जल संसाधन विभाग, भोपाल.  
भोपाल, दिनांक 09 /05/2017

प.क्रमांक-42131297/पार्ट

प्रतिलिपि :-

- (1) समस्त अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, मध्यप्रदेश ।  
(2) समस्त कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मध्यप्रदेश ।  
(3) उप संचालक, डाटा बेस, कोलार रोड, भोपाल (म०प्र०)  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(शिवाजी मिश्र)  
अधीक्षण यंत्री (बजट)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,  
जल संसाधन विभाग, भोपाल.

"कुशावाहा"